18/10/2022	वादी व प्रतिवादी संख्या-3 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या-3 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली कोमल कुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (CJO)	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

वाद संख्या – 157/2021

वादीगण **बनाम** प्रतिवादीगण

1. पवन कुमार पुत्र मांगीलाल
2. मोहन लाल पुत्र मांगीलाल
3. पारू देवी पत्नी मांगीलाल
4. जगदीश पुत्र कानाराम
5. पूनमाराम पुत्र आसुराम
6. ओमाराम पुत्र आसुराम
7. कमला देवी पत्नी आसुराम (वादीगण संख्या 1 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता वादीगण संख्या 3) जातियान नाई निवासीयान केराला (चिड़िया) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. खेताराम पुत्र प्रभूराम
2. राणाराम पुत्र प्रभूराम
3. निम्बाराम पुत्र गजाराम जातियान नाई निवासीयान केराला (चिड़ाया)
4. चेतनराम पुत्र खीमाराम
5. पूनमचंद पुत्र खीमाराम
6. मोहनी देवी पत्नी चेतनराम जातियान नाई निवासीयान जाजवा (आईजी) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
7. श्रीमान तहसीलदार गिड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील वादीगण।

2 श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 3।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 18/10/2022

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गतधारा 88, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि मौजा जाजवा आईजी पटवार हलका जाजवा तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 658, 662 रकबा 124.06, 0.04 बीघा, मौजा केराला पटवार हलका चिड़ीया तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 108, 120, 365, 498 रकबा 43.06, 21.12, 32.00, 25.11 बीघा व मौजा लोपली पटवार हलका चिड़ीया तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 32 रकबा 33.11 बीघा आई हुई है उक्त भुमि सेटलमेट से पूर्व वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा बागाराम के कब्जा काश्त की भुमि थी वक्त

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला–बाड़मेर

सेटलमेट उक्त भुमि बागाराम के दोनों पुत्र गजाराम व प्रभूराम (वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता गजाराम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता प्रभूराम) के नाम दर्ज हुई। मौजा केराला पटवार हलका चिड़ीया तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 108, 120, 365, 498 रकबा 43.06, 21.12, 32.00, 25.11 बीघा व मौजा लोपली पटवार हलका चिड़ीया तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 32 रकबा 33.11 बीघा भूमि में बागारम के दोनों पुत्र गजाराम व प्रभूराम के नाम दर्ज हुई जबकि मौजा जाजवा आईजी पटवार हलका जाजवा तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 658, 662 रकबा 124.06, 0.04 बीघा भूमि अकेले प्रभूराम के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि पैतृक होने के कारण बागाराम के दोनों पुत्र गजाराम व प्रभूराम के संयुक्त नाम से बहिस्सा बराबर अंकित की जानी थी लेकिन जाजवा केखेत खसरा नम्बर 658, 662 अकेले प्रभूराम के नाम दर्ज होने पर वादीगण द्वारा जाजवा की संपूर्ण भूमि में अपना व प्रतिवादी संख्या 3 का संयुक्त रूप से 1/2हिस्सा खातेदार घोषित करने हेतु वाद इस न्यायालय में पेश किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से इकबाली जवाब मय काउन्टर क्लैम वादीगण के साथ अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने हेतु पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामिली अनुउपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप वादीगण स्वयं PW-1 ओमाराम पुत्र आसूराम जाति नाई निवासी केराला चिड़ीया तहसील गिड़ा PW-2 निम्बाराम पुत्र गेनाराम जाति मेघवाल निवासी चिड़ीया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर व PW-3 मालाराम पुत्र दमाराम जाति जाट निवासी चिड़िया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर एवं प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं DW-1 निम्बाराम पुत्र गजाराम जाति नाई निवासी केराला चिड़िया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर का शपथ पत्र पेश किया गया। जिन पर A से B व X स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर व अंगूष्ठ निशान होना स्वीकार किया वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से EXP-1 वर्तमान जमाबंदी नकल मौजा जाजवा आईजी पटवार हलका जाजवा तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 658, 662 रकबा 124.06, 0.04 बीघा, EXP-2 प्रथम जमाबंदी, की प्रमाणित प्रति पेश की।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहन अध्ययन कर वाद के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। चुंकि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 की पैतृक भुमि थी। उक्त भूमि सेटलमेट से पूर्व वादीगण के पूर्वज बागाराम की होने व वक्त सेटलमेट ग्राम चिडिया में बागाराम के दोनो पुत्र प्रभूराम व गजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है जबकि ग्राम जाजवा में अकेले प्रभूराम का नाम दर्ज है उक्त भुमि पैतृक हाने के कारण व राजस्व रेकर्ड, माफीक खानदानी सजरे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का संयुक्त 1/2 हिस्सा मौजा जाजवा आईजी पटवार हलका जाजवा तहसील गिड़ा

सहायक ... (SDO)

जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 658, 662 रकबा 124.06, 0.04 बीघा में खातेदारी अधिकार का प्रतीत होता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद व प्रतिवादी संख्या 3 का कांउटर क्लैम स्वीकार करते हुए अंतिम डिकरी इस आशय की जारी की जाती है वादग्रस्त आराजी मौजा जाजवा आईजी पटवार हलका जाजवा तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 658, 662 रकबा 124.06, 0.04 बीघा (वर्तमान रकबा 20.1209, 0.0324 हेक्टेयर) कि भुमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, का खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार होकर जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 18/10/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
पवन कुमार		खेताराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 157/2021 निर्णय दिनांकः– 18/10/2022

वादीगण की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ व प्रतिवादीगण संख्या 3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/10/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 3 का कांउटर क्लैम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा जाजवा आईजी पटवार हलका जाजवा तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 658, 662 रकबा 124.06, 0.04 बीघा (वर्तमान रकबा 20.1209, 0.0324 हेक्टेयर) कि भुमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बायतु
जिला – बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ....रूपये पर प्लीडर की फिस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फिस 7. ओदशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फिस साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय कमिश्नर की फिस ओदशिका की तामिल	

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1. पवन कुमार पुत्र मांगीलाल
2. मोहन लाल पुत्र मांगीलाल
3. पारू देवी पत्नी मांगीलाल
4. जगदीश पुत्र कानाराम
5. पूनमाराम पुत्र आसुराम
6. ओमाराम पुत्र आसुराम
7. कमला देवी पत्नी आसुराम (वादीगण संख्या 1 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता वादीगण संख्या 3) जातियान नाई निवासीयान केराला (चिड़िया) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण:

1. खेताराम पुत्र प्रभूराम
2. राणाराम पुत्र प्रभूराम
3. निम्बाराम पुत्र गजाराम जातियान नाई निवासीयान केराला (चिड़ाया)
4. चेतनराम पुत्र खीमाराम
5. पूनमचंद पुत्र खीमाराम
6. मोहनी देवी पत्नी चेतनराम जातियान नाई निवासीयान जाजवा (आईजी) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
7. श्रीमान तहसीलदार गिड़ा

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, **बायतु**
जिला – बाड़मेर